

24/8/23

अधिवक्ता उग्रय पक्ष उप।

अधिवक्ता अपीलान्त ही शर्चना पत्र उपस्तुत कर
उक्त का विद्वो कवाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अपीलान्त के निवेदन पर पत्रावली
जारी के विद्वोल खारिज की जाती हैं। पत्रावली
फैसल नुमार होकर नम्बर से काम हो।

निर्णय आज दि. 24.8.23 को
सबे इजलास सुनाया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
प्रावी

[Signature]
Identified
[Signature]
No obj.
[Signature]